⇒ भारत में विदेशी पूँजी

विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके माध्यम से सकल पूँजी निर्माण की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। मुख्य रूप से विदेशी पूँजी दो स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है :- 1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)

2. संविभाग निवेश (Portfolio Investment)

विदेशी पूँजी से आर्थिक विकास के निम्नांकित क्षेत्र लाभान्वित होते हैं :-

ⓐ उद्योग ⓑ आधारभूत संरचनाएँ ⓒ तकनीकी सहयोग ⓓ विनिवेश का स्तर

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :- भारतीय कम्पनियों में स्थिर पूँजी, कार्यशील पूँजी तथा पूँजीगत उपकरण प्रदान करने के लिए FDI आवश्यक है। इसके माध्यम से विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों के प्रबंधन पर नियंत्रण तथा उसमें सहभागिता प्राप्त होती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों (NRIs) को प्रोत्साहित किया जाता है।

पोर्टफोलियो निवेश :- विदेशी सहायता द्वारा समता (equity) एवं अंशों (शेयर्स) के रूप में प्राप्त राशि को संविभाग निवेश कहा जाता है। इस निवेश पर एक निश्चित ब्याज अथवा लाभांश की गारंटी दी जाती है। अतः विदेशी निवेशकों को जोखिम (Risk) नहीं होता है। संविभाग निवेश में निवेशकों को कंपनियों के प्रबंधन तथा स्वामित्व पर कोई अधिकार नहीं होता है।

भारत की विदेशी निवेश नीति :-

वर्ष 1991 के नई औद्योगिक नीति में ही विदेशी निवेश पर अत्यधिक बल दिया गया था। इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रावधान किये गए हैं :-

1. 40% के विदेशी निवेश की समता सीमा (equity limit) को 51% अथवा 74% करने का निर्णय।
2. तेल अन्वेषण, उत्पादन तथा शोधन के अतिरिक्त गैस के वितरण तथा प्रसंस्करण जैसे वर्जित क्षेत्रों में भी विदेशी निवेश की अनुमति।
3. अनिवासी भारतीयों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी प्रवेश की अनुमति।

16.02.24

⇒ विनिवेश नीति (Disinvestment Policy)

सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक निजी निवेश की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन कौशल तथा उत्पादकता में वृद्धि है। इस दिशा में अप्रैल 1992 में रंगराजन समिति के रिपोर्ट के आधार पर नीतियों का निर्धारण किया गया था जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विनिवेश की सीमा को 51% से अधिक रखने का सुझाव दिया गया था। इसके उपरांत वर्ष 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि, कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सुदृढ़ीकरण के लिए सुझाव देना था। आयोग द्वारा दिये गए सुझावों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से Dec. 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। इसके कार्यों में निम्नांकित प्रमुख हैं :-

1. सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी समता (equity) के विनिवेश से संबंधित मामलों का अध्ययन।
2. पुनर्संरचना सहित विनिवेश की सुपुर्दगी पर आयोग की सिफारिशों का अध्ययन।
3. सलाहकारों की नियुक्ति।

विनिवेश प्रस्तावों को सर्वप्रथम मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसकी स्वीकृति के उपरांत सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। निविदाओं (Tenders) के आधार पर विभिन्न सलाहकारों की सहायता से विनिवेश की सीमा का निर्धारण किया जाता है। जिसके उपरांत अंतरमंत्रालय समिति द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है।

16.02.2024